www.rojgarsamachar.gov.in
www.employmentnews.gov.in

सत्यमेव जयते

अंग्रेजी एवं उर्दू में भी प्रकाशित
वार्षिक शुल्क : ₹ 350

रोज़गार समाचार

सासाहिक

खण्ड 38 अंक 15 पृष्ठ 56 | नई दिल्ली 13 -19 जुलाई 2013 | ₹ 8.00

रोज़गार सारांश

एनआईसीएल

● नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कोलकाता को 1434 प्रशासकीय अधिकारियों की आवश्यकता

अंतिम तिथि: 03.08.2013

संघ लोक सेवा आयोग

● संघ लोक सेवा आयोग द्वारा लगभग 1200 विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित.

अंतिम तिथि: 01.08.2013

आसूचना ब्यूरो

● आसूचना ब्यूरो को 750 सहायक केन्द्रीय आसूचना अधिकारी ग्रेड-II/एग्जिक्यूटिव की आवश्यकता

अंतिम तिथि: 12.08.2013

डीएसएसएसबी

● दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को 671 (लगभग) लेबोरेट्री असिस्टेंट, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, आरमर, मैट्रन (महिला), वार्डर (पुरुष) आदि की आवश्यकता

अंतिम तिथि: 25.07.2013 और 02.08.2013

बैंक

● इंडियन ओवरसीज बैंक, चेन्नै को 480 प्रोबेशनरी अधिकारियों की आवश्यकता

अंतिम तिथि: 29.07.2013

रेलवे

● उत्तर पश्चिमी रेलवे को भूतपूर्व सैनिक कोटा के तहत 290 ट्रैकमैन, खलासी/गेटमैन और खलासी/हेल्पर की आवश्यकता

अंतिम तिथि: 13.08.2013

एम्स

● अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर को 118 प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की आवश्यकता

अंतिम तिथि: 29.07.2013

कॉनकोर

● कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली को 43 वरिष्ठ सहायक (तकनीकी) की आवश्यकता

अंतिम तिथि: 05.08.2013

बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, सशस्त्र सेनाओं, रेलवे और अन्य सरकारी विभागों की अन्य रिक्तियों के लिए अंदर के पृष्ठ देखें.

वेब विशेष

www.rojgarsamachar.gov.in पर वेब विशेष खण्ड में निम्नलिखित आलेख उपलब्ध हैं :

1. कश्मीर को रेल मार्ग से जोड़ा गया.
2. बुनियादी परियोजनाओं के लिए सरकारी और सार्वजनिक निजी भागीदारी.

उत्तराखण्ड त्रासदी : मानव द्वारा उत्पन्न आपदा

—हिमांशु ठक्कर

38,000 वर्ग कि.मी. से भी अधिक के दायरे में फैले हिमालयी क्षेत्र की पर्वतधाराओं, नदियों, वनों, हिमनदों और लोगों को प्रभावित करने वाली प्राकृतिक आपदा का जटिल होना लाजिमी है. प्राकृतिक आपदाएं और इसके प्रभाव अक्सर एक साथ कई चीजों के घटने का परिणाम होती हैं. हाल में उत्तराखंड में आई आपदा उन मानव जनित कारणों को उजागर करती है जिसकी वजह से इस घटना का प्रभाव कई गुना बढ़ गया.

उत्तराखंड कच्चे और नए पहाड़ों वाला राज्य है. यह क्षेत्र भारी वर्षा, बादल फटने, भूस्खलन, आकस्मिक बाढ़ और भूस्खलन से अक्सर प्रभावित होता रहता है. यहां के भूतत्व में काफी समस्याएं हैं. जलवायु परिवर्तन की वजह से बादल फटने और आकस्मिक बाढ़, हिमनद के फटने से बाढ़ (हाल में हुई आपदा में एक से अधिक जगहों पर इसकी आशंका लग रही है जिसमें केदारनाथ, हेमकुंड साहिब और पिथौरागढ़ के ऊपर बहने वाली धाराएं शामिल हैं) सहित काफी तेज वर्षा के प्रभाव में वृद्धि हो रही है और इन सबके साथ भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं. एसी स्थिति में सभी विकासात्मक परियोजनाओं को इस वास्तविकता को समझते हुए जोखिम कम करने का प्रयास करना चाहिए.

वर्षा का होना प्राकृतिक है किंतु नदियों के मुहानों पर अनियमित, असुरक्षित और अनियोजित बुनियादी ढांचे का विकास और उपयुक्त जांच तथा संतुलन, पारदर्शी अध्ययनों और लोकतांत्रिक निर्णयात्मक प्रक्रिया के अभाव में यहां काफी संख्या में पनबिजली परियोजनाओं का विकास इस मानवीय त्रासदी को बढ़ाने के पीछे के मुख्य कारकों में एक है. उत्तराखंड में नियमों का काफी उल्लंघन किया गया पर इस त्रासदी ने यह दिखा दिया कि प्रकृति प्रलोभनों को स्वीकार नहीं करती.

आपदा प्रबंधन का पहला सिद्धांत है पूर्व चेतावनी, जहां हम असफल हुए. जब आप इस आपदा का विश्लेषण करते हैं तो जो पहली चीज दिमाग में कौंधती है वह यह कि वहां डॉप्लर रडार प्रणाली मौजूद नहीं है जो कि बादल फटने की घटना की जानकारी भी कम से कम 3-6 घंटे पूर्व दे सकती है. उत्तराखंड के लिए 2008 में ही इस प्रणाली के वास्ते राशि मंजूर कर दी गई थी लेकिन उत्तराखंड सरकार और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के बीच समन्वय में कमी की वजह से यह प्रणाली उपलब्ध नहीं थी.

उत्तराखंड मौसम विभाग ने 15, 16 और 17 जून को भारी से काफी भारी बारिश की चेतावनी दी थी और यहां तक कि तीर्थयात्रियों को चार धाम (गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ) की यात्रा को चार दिनों के लिए रोकने को भी कहा था. हालांकि, उत्तराखंड प्रशासन ने इस चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं दिया और इसे अनसुना कर दिया. मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कार्रवाई योग्य पूर्वानुमान जारी नहीं किया गया था. प्रशासन में कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि उन्होंने कार्रवाई की लेकिन ऐसा कोई सबूत दिख नहीं रहा है.

यहां तक कि बारिश शुरू होने के बाद भी विशिष्ट स्थानों पर भारी वर्षा की तत्काल निगरानी और इस सूचना को नीचे प्रशासन और लोगों तक तेजी से प्रसारित करने के कोई इंतजाम नहीं थे. यहां तक कि ऐसा लग रहा है कि इस आपदा के केन्द्र केदारनाथ में वर्षा मापने का कोई पैमाना नहीं था.

केन्द्रीय जल आयोग बाढ़ पूर्वानुमान के लिए भारत का प्रमुख तकनीकी निकाय है. हालांकि इस समूचे बाढ़ से प्रभावित उत्तराखंड क्षेत्र के लिए पूर्वानुमान जारी करने में केन्द्रीय जल आयोग पूरी तरह से नाकाम रहा. श्रीनगर में 17 जून की सुबह सैंकड़ों घर बाढ़ से प्रभावित हुए और यहां पर बाढ़ चेतावनी प्रणाली मौजूद होने के बावजूद केन्द्रीय जल आयोग ने कोई पूर्वानुमान जारी नहीं किया.

जैसा की मार्च 2013 की कैग की रिपोर्ट में कहा है कि उत्तराखंड में राज्य के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता के तहत 2007 में गठित राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) की कोई बैठक नहीं हुई. राज्य ने आपदा प्रबंधन के लिए कोई नियम, विनियम, नीति अथवा दिशानिर्देश तैयार नहीं किया. उत्तराखंड में क्रियाशील एसडीएमए मौजूद नहीं है. यह दर्शाता है कि आईएमडी, सीडब्ल्यूसी, एनडीएमए और एसडीएमए जैसी एजेंसियां चेतावनी, पूर्वानुमान, निगरानी और सूचना के प्रसार की आधारभूत प्रणाली को भी कायम नहीं रख पाईं जिससे इस क्षेत्र में आपदा के स्तर को काफी कम किया जा सकता था.

वर्ष 2000 में उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद से राज्य खनन, सड़क निर्माण, बड़ी मात्रा में पनबिजली परियोजनाओं, इमारतों और पर्यटन आदि सहित विभिन्न परियोजनाओं के संदर्भ में तेजी से आगे बढ़ रहा है. लेकिन इसके प्रभाव की वास्तविकताओं को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया गया. नदी तल पर अवैध खनन इतना तीव्र और विध्वंसक था कि इसे रोकने के लिए आंदोलन करते हुए स्वामी निगमानंद ने अपनी जान दे दी. अदालत द्वारा इस बारे में स्पष्ट निर्देश हैं कि नदी के दोनों तरफ कम से कम सौ मीटर के दायरे में कोई निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता लेकिन उत्तराखंड में इसे लागू करने के लिए कोई नहीं है. यहां तक कि नदी के मुहाने पर सैंकड़ों भवन बनाए गए इसके अलावा कई जगहों पर 100 मीटर की दूरी तक की जगह पर कब्जा किया गया है. यहां तक कि इस क्षेत्र में सरकारी भवन भी तैयार किए गए. श्रीनगर में अर्धसैनिक बल. सशस्त्र सीमा बल की बड़ी इमारत (पिछले वर्ष उद्घाटित) और सरकार के पर्यटन निगमों के विभिन्न होटल इस बात के सबूत हैं. उत्तरकाशी में 3-4 अगस्त 2012 को आई आपदा में इमारतें भागीरथी नदी में इस प्रकार ध्वस्त हुईं जैसे कि वे ताश के पत्तों से बनी हों, जैसा कि जून में टीवी चैनलों पर दिखाया गया. इसके बाद और सितंबर 2012 में रुद्रप्रयाग जिले के ऊखीमठ में आई आपदा के बाद इससे निपटने के लिए अनेक संस्तुतियां की गईं पर किसी ने इसे क्रियान्वित करने की परवाह नहीं की.

उत्तराखंड में पिछले एक दशक से सड़कों का निर्माण और विस्तार किया जा रहा है. इसके लिए भूवैज्ञानिक फॉल्ट लाइन, भूस्खलन के जोखिम को नजरअंदाज किया जा रहा है और विस्फोट के इस्तेमाल, वनों की कटाई, भूस्खलन के जोखिम पर कोई ध्यान दिए बगैर, उपयुक्त जलनिकासी संरचना के अभाव सहित विभिन्न सुरक्षा नियमों की अनदेखी की जा रही है. पिछले दशक में पर्यटन के तीव्र विस्तार में आपदा प्रबंधन के आधारभूत नियमों पर ध्यान नहीं दिया गया.

दो सौ से भी ज्यादा विभिन्न आकार की पनबिजली परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं. इसमें से कुछ संचालन कर रही हैं, कुछ निर्माणाधीन हैं. कुछ अन्य मंजूरी की प्रतीक्षा कर रही हैं और कुछ की योजना तैयार की जा रही है. इन सभी का पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव काफी महत्वपूर्ण है और साथ ही इस क्षेत्र में होने वाली आपदा पर भी इसका काफी प्रभाव है. 25 मेगावाट से कम की परियोजनाओं के प्रभाव का कोई आकलन अथवा निगरानी नहीं की गई. यहां तक कि 25 मेगावाट से ऊपर की परियोजनाओं के लिए भी हमारे पूर्व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने यह कहा था कि अधिकांश ईआईए सही नहीं हैं और इसमें केवल नकल का काम हुआ है. पर्यावरण और वन मंत्रालय की विशेषज्ञ समीक्षा समिति आईआईए की उपयुक्तता के संबंध में आधारभूत नियमों, संचयी प्रभाव आकलन, जन परामर्श प्रक्रिया की उपयुक्ता अथवा पर्यावरणीय अनुपालन में ठीक काम नहीं कर रही हैं. यहां तक कि जब उल्लंघन के सबूत सरकारों के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं तो वे इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा पातीं. इन परियोजनाओं में बड़े बांध, सुरंगें, सड़कें, शहर, वन कटाव, जलप्लावन सभी कुछ सम्मिलित होता है. इनकी वजह से राज्य में आपदा का जोखिम बढ़ जाता है. अलकनंदा नदी पर 330 मेगावाट के निर्माणाधीन पनबिजली परियोजना की वजह से अलकनंदा में अवैध रूप से आधे मिलियन क्यूबिक मीटर से भी अधिक मलबा डाला गया. 17 जून की रात बाढ़ के साथ ही नदी में डाला गया सारा मलबा श्रीनगर शहर में घुस गया जिससे हजारों घर डूब गए और कई मकानों के तीन तलों तक मलबा भर गया. नदी में अवैध रूप से मलबा डालने की बात राज्य और केन्द्र सरकार के ध्यान में कई बार लाई गई लेकिन कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया. रुद्रप्रयाग जिले में मंदाकिनी नदी पर बनाए जाने वाले फाटा ब्यूंग और सिंगोली भटवारी पनबिजली परियोजनाओं में भी यही काम हुआ.

टिहरी बांध की वजह से हरिद्वार और ऋषिकेश शहर बच गए, ऐसी आधारहीन बातें कहकर राज्य सरकार और सीडब्ल्यूसी तथा टीएचडीसी जैसी केन्द्र सरकार की एजेंसियां पनबिजली परियोजनाओं की आलोचनाओं पर से ध्यान हटाने की कोशिश कर रही हैं. हमारा विश्लेषण दर्शाता है कि अगर टिहरी बांध नहीं होता तो भी इन शहरों में बांध के स्तर में कोई वद्धि नहीं होती क्योंकि भागीरथी और अलकनंदा में बाढ़ अलग-अलग समय पर आई.

हमें यह समझना होगा कि हमने चीजों की मिटाने और प्रलोभनों की गंभीर गलती की है. पुनर्निर्माण और पुनर्वास के साथ उत्तराखंड को इन गलतियों को स्वीकार करना होगा और तत्काल सुधार, शुरुआती संचयी प्रभाव आकलन और सभी नदी थालों की क्षमता का अध्ययन करना होगा और इस बीच निर्माणाधीन और नियोजित परियोजनाओं को रोकना होगा. सभी विकासात्मक कार्यों के संबंध में निर्णय लेने में अहम भूमिका वाले सक्रिय आपदा प्रबंधन विभाग को सुनिश्चित करना होगा इसके साथ ही विश्वसनीय पर्यावरणीय शासन और अनुपालन प्रणाली स्थापित करनी होगी. विभिन्न अवसंरचनाओं के प्रभाव का आकलन करना होगा. ठोस चेतावनी, पूर्वानुमान, निगरानी और सूचना प्रसार प्रणाली स्थापित करनी होगी. अगर हम इन न्यूनतम कदमों को नहीं उठाएंगे तो अगली आपदा मौजूदा आपदा की पूर्व कड़ी लगेगी.

(लेखक साउथ एशिया नेटवर्क ऑन डैम्स, रिवर्स एंड पीपल के समन्यवक हैं.
ईमेल. ht.sandrp@gmail.com)

राष्ट्रपति ने खाद्य सुरक्षा विधेयक अध्यादेश को मंजूरी दी

राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने खाद्य सुरक्षा विधेयक अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं. इस अध्यादेश के लागू हो जाने से लगभग 82 करोड़ जनता को हर महीने रियायती दर पर अनाज मिलेगा.

अध्यादेश पर एक नजर

अंतर्वस्तु

- 67 प्रतिशत जनसंख्या को सस्ती दर पर भोजन के कानूनी हक की गारंटी.
- सभी चुनिंदा लाभार्थियों को क्रमशः तीन रुपए प्रति किलो, दो रुपए प्रति किलो और एक रुपए प्रति किलो की दर से 5 किलो चावल, गेहूं अथवा मोटे अनाज की आपूर्ति की सुनिश्चितता.
- गरीब से गरीबतम को उपर्युक्त कीमतों पर अंत्योदय अन्न योजना के तहत प्रति परिवार 35 किलो अनाज मिलेगा.
- राज्यों द्वारा पात्र परिवारों की पहचान की जाएगी.
- 6,000 रुपए महीने का मातृत्व लाभ. 6 महीने से 14 वर्ष के बच्चों को घर के लिए राशन अथवा तैयार गर्म खाना दिया जाएगा.
- राशन कार्ड में घर की सबसे बुजुर्ग महिला परिवार की मुखिया होगी.
- गरीबी रेखा से नीचे के वर्ग में रहने वालों को 4.15 रुपए प्रति किलो की दर से गेंहू और 5.65 रुपए प्रति किलो की दर से चावल मिलेगा. गरीबी रेखा से ऊपर के वर्ग को 6.10 रुपए प्रति किलो की दर से गेंहू और 8.30 रुपए प्रति किलो की दर से चावल मिलेगा.
- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत समाविष्ट सभी परिवारों को स्वयं ही 2 रुपए प्रति किलो की दर से गेंहू और 3 रुपए प्रति किलो की दर से चावल मिलेगा. गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों को प्रति माह प्रति व्यक्ति के हिसाब से 5 किलो खाद्यान्न मिलेगा. प्रत्येक परिवार को अधिकतम 25 किलो खाद्यान्न मिलेगा लेकिन गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना के तहत आने वाले परिवार को कम दर पर प्रति माह अधिकतम 35 किलो अनाज मिलेगा.

लागत

- इसे पूरी तरह लागू करने पर 1,24,724 करोड़ रुपए का खर्च आएगा जो कि 2013-14 के बजट के खाद्य सब्सिडी अनुमान से 34,724 करोड़ अधिक है.

आगे की राह

- इसके बाद संसद की अगली बैठक के छह महीने के भीतर दोनों सदनों द्वारा इसे पारित करने की आवश्यकता होगी.

(संकलन-संपादक मंडल, रोज़गार समाचार)